

परिशिष्ट-IX

बिहार सरकार,
कल्याण विभाग।

अधिसूचना

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली 1995 के नियम-9 के अन्तर्गत में अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिये एवं जिम्मेदार अन्वेषण अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिये सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को नोडल पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

६०

§ स. ० पी. ० प. स. व. नं. §

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक-1/पी. ० सी. ० आर. ०-1020/99क-1759 पटना-15, दिनांक 28.3.2000
प्रतिलिपि-अधीक्षक, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी एक सौ प्रतियों कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

६०

§ स. ० पी. ० प. स. व. नं. §

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक-क-1759 पटना-15, दिनांक 29 मार्च, 2000
प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं उपायुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची/सभी आर. सी. अधीक्षक/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.3.2000

§ स. ० पी. ० प. स. व. नं. §

सरकार के अपर सचिव।

28/3